न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 35/2023
अनवान : –

1. सुनैहरी पुत्री दानाराम पत्नी शंकर जाति बावरी निवासी निमला तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. चंदुराम पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी चंदुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 4/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 227/219 की कुल 6.0700 हैक्ट भूमि में से 5/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीया को वादीया के भाई चंदुराम प्रतिवादी संख्या 1 ने हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार माहरे में दी हुई है तथा वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है। पक्षकारान द्वारा दिनांक 05.01.2023 को इस बाबत एक पारिवारिक राजीनामा भी लिखित करवाया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के सभी वारिसान ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर दर्ज किये है और समझौता के अनुसार उक्त वाद भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया के पक्ष में परित्याग कर दिया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिस कारण से वादीया के खातेदारी हकूक का हनन हो रहा है तथा वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा की वह वादीया के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तो कुछ दिन तो प्रतिवादी संख्या 1 आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 2 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा ननाऊ सम्वम 2070–73 खाता संख्या 227 प्रदर्श–1, पारिवारिक समझौता प्रदर्श–2 आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया को वादीया के भाई चंदुराम प्रतिवादी संख्या 1 ने हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार माहरे में दी हुई है तथा वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है। पक्षकारान द्वारा दिनांक 05.01.2023 को इस बाबत एक पारिवारिक राजीनामा भी लिखित करवाया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के सभी वारिसान ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर दर्ज किये है और समझौता के अनुसार उक्त वाद भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया के पक्ष में परित्याग कर दिया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिस कारण से वादीया के खातेदारी हकूक का हनन हो रहा है तथा वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। वादीया के वाद को प्रतिवादी स0 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 227/219 की कुल 6.0700 हैक्ट भूमि में से 5/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादीया का कथन है कि उक्त वाद भूमि संयुक्त परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक भूमि है तथा उक्त वाद भूमि वादीया को वादीया के भाई चंदुराम प्रतिवादी संख्या 1 ने हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार माहरे में दी हुई है तथा वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है। पक्षकारान द्वारा दिनांक 05.01.2023 को इस बाबत एक पारिवारिक राजीनामा भी लिखित करवाया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के सभी वारिसान ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर दर्ज किये है और समझौता के अनुसार उक्त वाद भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया के पक्ष में परित्याग कर दिया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिस कारण से वादीया के खातेदारी हकूक का हनन हो रहा है वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

गया एवं कथनों की पुष्टि हेतु वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया। अतः वादीया के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया प्रतिवादी संख्या की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 227/219 की कुल 6.0700 हैक्ट भूमि में से 5/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जतात है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 4/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 35 / 2023
अनवान : –

1. सुनेहरी पुत्री दानाराम पत्नी शंकर जाति बावरी निवासी निमला तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. चंदुराम पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी चंदुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 35 सन 2023 4/1/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र कुमार गोदारा व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया प्रतिवादी की सहमति एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 227 / 219 की कुल 6.0700 हैक्ट भूमि में से 5 / 12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 4/01/24...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested